राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 960/2017/आबकारी/उदयपुर.

हनुमान पुत्र नरसाराम चौधरी निवासी प्लाट नं0 27, सैक्टर 8, गांधीधाम कच्छ (गुजरात) अधिकृत प्रतिनिधि (Power of Attorney M/s M.R. Shah Logistics (P) Ltd. Gandhi Dham). .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी निरीक्षक खैरवाड़ा (उदयपुर)
2. जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर (राज.)
3. आबकारी आयुक्त, राजस्थान सरकार (राज.). .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प0 29(बी)(19)पीएस/वाहन/आब/2016/1783 में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(क)(1)(ख) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मैसर्स एम.आर.शाह लॉजिस्टिक (प्रा0) लिमिटेड, गांधीधाम (गुजरात) द्वारा अनुबंधित वाहन (टैंकर) संख्या जी.जे.12–ए.यू.–7570 के द्वारा 24000 बल्क लीटर विशेष विकृत प्रासव (डिनेचर्ड स्प्रिट) दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, घोसी जिला मऊ (उत्तरप्रदेश) से मैसर्स नगीनदास हीरालाल भायानी, पनोली अंकलेश्वर, भरूंच (गुजरात) के लिये परिवहनित की जा रही थी, उक्त परिवहन हेतु प्रभारी अधिकारी, किसान सहकारी चीनी मिल्स, आसवानी इकाई, घोसी, मऊ (उत्तरप्रदेश) द्वारा ट्रांजिट पास संख्या डी–159 दिनांक 17.03.2016 जारी किया गया था। उक्त ट्रांजिट पास के अनुसार परिवहन की अवधि 7 दिन निर्धारित की गयी थी, अर्थात् दिनांक 24.03.2016 तक उक्त माल राजस्थान की सीमा से बाहर जाना आवश्यक था। दिनांक 25.03.2016 को उक्त वाहन ऋषभदेव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा नजदीकी पुलिस थाना पर दी गयी, साथ ही कम्पनी के प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र

लगातार.....2

सिंह द्वारा आबकारी आयुक्त, उदयपुर को जरिये ईमेल सूचित किया गया कि ऋषभदेव के समीप उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस पर आबकारी निरीक्षक, खैरवाड़ा ने दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को जब्त कर आबकारी अभियोग संख्या 24 दिनांक 27.03.2016 दर्ज करते हुए वाहन चालक भूराराम पुत्र छूतराराम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। वक्त जांच उक्त टैंकर में माल का रिसाव हो जाने के कारण 10168 बल्क लीटर माल जब्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाहन को अधिहरण से मुक्त कराने हेतु आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के समक्ष दिनांक 09.06.2016 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 17.05.2017 से वाहन के द्वारा अवैध मदिरा एवं आबकारी योग्य वस्तुओं का परिवहन किये जाने के कारण आबकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत उक्त वाहन को अधिहरण से मुक्ति के विकल्प के रूप में रूपये 5,00,000/– जुर्माना राशि अदा किये जाने का निर्देश दिया गया, साथ ही उक्त राशि अदा नहीं किये जाने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को वाहन को अधिनियम की धारा 69(7) के तहत नीलामी की कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी वाहन स्वामी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि मैसर्स एम.आर. शाह लॉजिस्टिक (प्रा0) लिमिटेड, गांधीधाम द्वारा मऊ, उत्तरप्रदेश से कच्छ (गुजरात) के लिये 6,00,000 बल्क लीटर विशेष विकृत प्रासव का परिवहन किया जाना था, इस हेतु जारी परमिट की अवधि दिनांक 31.03.2016 तक थी। विवादित वाहन हेतु उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी ट्रांजिट पास दिनांक 17.03.2016 की अवधि 7 दिवस अर्थात् दिनांक 24.03.2016 तक थी, किन्तु वाहन खराब हो जाने के कारण जयपुर में रोककर ठीक करवाना पड़ा, साथ ही मैकेनिक द्वारा वाहन को धीरे चलाने के निर्देश दिये गये। ऐसी स्थिति में दिनांक 23.03.2016 को वाहन ऋषभदेव पहुंचा, जहां से राजस्थान की सीमा मात्र 100 किमी. थी। दिनांक 23 व 24.03.2016 को होली का त्यौहार होने एवं ऋषभदेव के आगे गैर समारोह आयोजित होने से वाहन को आगे नहीं ले जाया जा सकता था। अतः दिनांक 23 व 24 को ऋषभदेव में ही रूकना पड़ा। दिनांक 25.03.2016 को प्रातः वाहन चालक द्वारा जैसे ही वाहन को रवाना किया, दो किमी. की दूरी पर वाहन एक गहरे गड्ढे में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें वाहन चालक को भी चोटें आईं। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा

लगातार.....3

उक्त दुर्घटना की सूचना तुरन्त सम्बन्धित पुलिस थाना को दे दी गयी एवं प्रातः 8.30 बजे ही थाने के दो सिपाही श्री मांगीलाल (बेल्ट नं0 935) व श्री बालकृष्ण (बेल्ट नं0 2287) ने वाहन को अपनी निगरानी में ले लिया, इस बात की पुष्टि आबकारी निरीक्षक द्वारा तैयार पंचनामा रिपोर्ट से भी होती है, जिसमें इस बात का स्पष्ट अंकन किया गया है। मैसर्स एम.आर.शाह लॉजिस्टिक के प्रतिनिधि द्वारा उक्त घटना की सूचना तुरन्त आबकारी आयुक्त को जरिये ईमेल प्रदान की गयी, किंन्तु दिनांक 23.03.2016 से 27.03.2016 तक राजकीय अवकाश होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 27.03.2016 को आबकारी निरीक्षक खैरवाड़ा द्वारा अभियोग संख्या 24/2015–16 दर्ज किया जाकर वाहन को मय माल कब्जेराज लिया गया।

5. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि जिस माल (डिनेचर्ड स्प्रिट) को अवैध मानते हुए वाहन मय माल जब्त किया गया था, उस माल के परिवहन की अवधि निदेशक, मद्य निषेध एवं आबकारी, गुजरात राज्य के पत्र क्रमांक 19.04.2016 द्वारा दिनांक 12.05.2016 तक बढ़ा दी गयी, इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर के पत्र दिनांक 15.02.2017 से माल प्रेषिति व्यवहारी मैसर्स नगीनदास हीरालाल भायानी, भरूंच को सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण में किसी अवैध माल का परिवहन नहीं किया जा रहा था, अवैध माल के परिवहन के लिये ही आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत वाहन को जब्त करते हुए, वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना राशि आरोपण के प्रावधान हैं। प्रकरण में किसी प्रकार के अवैध माल का परिवहन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अवैध माल को जब्त किया जाने के पश्चात् विभाग द्वारा माल को नियमानुसार नष्ट किया जाता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में विवादित माल को पुनः व्यवहारी को सुपुर्द कर दिया गया है तो उस माल के परिवहन के आरोप में वाहन को मुक्त करने हेतु जुर्माना राशि का आरोपण पूर्णतया अविधिक है। आबकारी आयुक्त द्वारा भी प्रकरण में अवैध माल का परिवहन मानते हुए जुर्माना राशि का आरोपण किया गया है, जो पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा वाहन को अधिहरण से मुक्त करने की एवज में जुर्माना राशि रूपये 5,00,000/– आरोपित किये जाने में भी त्रुटि की गयी हैं, क्योंकि उक्त वाहन की वर्ष 2016 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस राशि रूपये 7,50,000/– थी, जिसमें वाहन के द्वारा कोई दुर्घटना हो जाने की स्थिति में उक्त राशि की सीमा तक थर्ड पार्टी इंश्योंरेस किया गया था, उक्त राशि वाहन की कीमत नहीं थी। दुर्घटना के पश्चात् वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके फोटोग्राफ्स् पत्रावली में संलग्न है,

लगातार.....4

जिनके अनुसार वाहन की कीमत रूपये 3,00,000/– से अधिक नहीं हो सकती थी। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त वाहन की कीमत रूपये 5,00,000/– निर्धारित करते हुए तद्नुसार जुर्माना राशि का आरोपण किये जाने में भी आबकारी आयुक्त द्वारा तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है।

7. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन खराब हो जाने, दिनांक 23 व 24.03.2016 को होली का त्यौहार होने, ऋषभदेव में गैर समारोह आयोजित होने एवं तत्पश्चात् वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण वह नियत समयावधि में राजस्थान से बाहर नहीं निकल सका, जबकि दुर्घटना स्थल से राजस्थान की सीमा मात्र 100 किमी. ही थी। ऐसी स्थिति में परिस्थितिवश ट्रांजिट पास की समयावधि का उल्लंघन हुआ है, जिस पर उसका किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो वह आसानी से राजस्थान की सीमा से बाहर निकल जाता, इस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त वाहन के आधार पर अभियोग दर्ज किया जाकर अपीलार्थी पर भारी जुर्माना राशि आरोपित किया जाना किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है, जबकि वाहन में किसी प्रकार का अवैध परिवहन नहीं किया जा रहा था। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन राजस्थान की सीमा से बाहर नहीं ले जाने के आधार पर वाहन को मय माल कब्जेराज लिया गया एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त वाहन को अधिहरण से मुक्त कराने के विकल्प के तौर पर जुर्माना राशि का आरोपण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स एम.आर. शाह लॉजिस्टिक (प्रा0) लिमिटेड, गांधीधाम को मऊ, उत्तरप्रदेश से कच्छ (गुजरात) के लिये 6,00,000 बल्क लीटर विशेष विकृत प्रासव का परिवहन किया जाना था, जिसकी परमिट अवधि दिनांक 31.03.2016 तक थी। उक्त माल 25 टैंकरों के जरिये परिवहनित किया गया, जिसमें से 24 टैंकर नियत समयावधिं में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच गये, किन्तु विवादित टैंकर खराब हो जाने/दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण नहीं पहुंच पाया। उक्त समस्त तथ्य

लगातार.....5

पत्रावली से प्रमाणित हैं। साथ ही प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि टैंकर से परिवहनित माल को अवैध प्रमाणित नहीं किया गया है, बल्कि उक्त माल जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 15.02.2017 को प्रेषिति व्यवहारी मैसर्स नगीनदास हीरालाल भायानी, भरूंच (गुजरात) को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार जब वाहन से किसी प्रकार का अवैध माल परिवहन किया जाना ही नहीं पाया गया तो उक्त वाहन को अवैध परिवहन के लिये दोषी मानते हुए जब्त किया जाकर वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना राशि का आरोपण किया जाना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है। आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के तहत केवल उसी वाहन को जब्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जाना पाया जावे, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पाया गया माल पूर्णतः वैध था, जो नियमानुसार प्रेषिति व्यवहारी को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में वाहन की राजस्थान की सीमा से बाहर निकलने हेतु नियत ट्रांजिट अवधि दिनांक 24.03.2016 थी, किन्तु वाहन खराब हो जाने, ऋषभदेव में गैर/होली का समारोह आयोजित होने से आगे जाने की अनुमति नहीं होने, तत्पश्चात् वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण, परिस्थितिवश वाहन चालक उक्त अवधि में राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा सका, जिसके पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद हैं।

11. प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के पृष्ठ 3 के पैरा 2 में अवैध शराब के परिवहन के सम्बन्ध में वर्ष 2008–09 से 2015–16 के मध्य सैंकड़ों प्रकरणों में अभियोग होने से अवैध शराब के परिवहन की प्रकृति के तथ्यों के अधीन अवैध मदिरा परिवहन, भण्डार एवं विक्रय पर अंकुश लगाने की मानसिकता के मद्देनजर हस्तगत प्रकरण में शास्ति का आरोपण किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में परिवहनित माल अवैध नहीं होना प्रमाणित है। जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर द्वारा उक्त माल को पूर्णतया वैध होने के आधार पर ही प्रेषिति व्यवहारी को सुपुर्द किया गया है। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त का यह आधार तथ्यात्मक रूप से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वाहन में अवैध शराब के बजाय डिनेचर्ड स्प्रिट का परिवहन किया जा रहा था, जो कि मुख्यतः फर्नीचर पर पॉलिश व अन्य काम में आती है। परिवहनित माल गुजरात राज्य के लिये परिवहनित किया जा रहा था, जहां शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध है। परिवहनित माल सभी वांछित दस्तावेजों से समर्थित था, जिसे अवैध मानते हुए वाहन को जब्त किया जाकर वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना राशि का आरोपण विधिक प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

लगातार.....6

12. उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि वाहन खराब हो जाने एवं तत्पश्चात् दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण नियत समयावधि में राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा सका। परिवहनित माल पूर्णतः वैध था एवं वांछित दस्तावेजों से समर्थित था, ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना राशि आरोपित किये जाने हेतु पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय पाया जाता है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 अस्वीकार किया जाता है तथा आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु जमा करवाई गई राशि मय ब्याज लौटाई जावे।

14. निर्णय सुनाया गया ।

19/9/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष